

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
48 न्यू मरीन लाईन्स(चर्चगेट),पो.बै.सं.11500,
न्यू सी.सी.ओ.बिल्डिंग, मुंबई-400 020
फैक्स: 022-2200 4693 ई-मेल: textilec@gmail.com

सं 28(19)/2008-एम.एस./

दिनांक: 13 अगस्त, 2008

**प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)
(01/04/2007 से 31/03/2012)**

**परिपत्र सं.05
(2008-2009 श्रृंखला)**

नवगठित तकनीकी सलाहकार सह-देखरेख समिति (टीएमसी) द्वारा इसकी 25 जुलाई 2008 को मुंबई में संपन्न इसकी द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों संबंधी स्पष्टीकरण।

क. परिशिष्ट -जे 26 के विवरण में परिवर्तन

दिनांक 28/07/2008 के परिपत्र 4 (2008-2009 श्रृंखला) के द्वारा जारी परिशिष्ट जे-26 के विवरण में आशोधन के संदर्भ में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। तदनुसार परिशिष्ट जे-26 का विवरण निम्नानुसार आशोधित किया जाता है।

परिशिष्ट- जे 26 : पीएलसी आधारित पूर्णतः स्वचालित रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन, जिसमें चुंबकीय/ एअर फ्लो स्क्वीज सिस्टम स्वचालित डिजाइन सेटिंग तथा शीघ्र परिवर्तन की सुविधा /ऑन लाइन धुलाई व्यवस्था के साथ अथवा उसके बिना फ्लाइंग डिजाइन चेंज (एफडीसी) सिस्टम।

ख. परिशिष्ट के (डी) 7 के विवरण में परिवर्तन

परिशिष्ट के (डी) 7 के विवरण में निम्नानुसार आशोधन किया गया है:

परिशिष्ट के (डी) 7 वार्प नॉटिंग सिस्टम वाले मशीन।

2. प्रौउनियो के अंतर्गत 5% ब्याज वापसी का लाभ उठाने के पश्चात् 15% की दर से एमएमएस प्रौउनियो के लिए पात्रता के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

प्रौदनियो के अंतर्गत 5% ब्याज वापसी का लाभ उठाने के पश्चात् 15% की दर पर एमएमएस के लिए पात्रता के संदर्भ में शंका उपस्थित की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 5% ब्याज वापसी की सहायता का लाभ उठाने के पश्चात् इकाई 15% की दर से एमएमएस प्रौदनियो के अंतर्गत लाभ उठा नहीं सकती। वे यद्यपि 5% वापसी की सहायता प्राप्त करना जारी रख सकते हैं।

3. आईडीबीआई द्वारा बैंकों का सहयोजन:

आईडीबीआई के प्रौदनियो के अंतर्गत गैर लघु उद्योग वस्त्र क्षेत्र के लिए धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. को सहयोजित किया है।

कृपया प्रौदनि योजना में उपरोक्त स्पष्टीकरण/प्रक्रिया सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

प्रति :-

1. सभी नोडल अभिकरण /नोडल बैंक / सहयोजित प्रा. ऋ. संस्थान ।
2. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/चेम्बर ऑफ कामर्स एवं इण्डस्ट्री
4. विकास आयुक्त (हथकरघा)
5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
6. पटसन आयुक्त
7. सदस्य-सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
8. राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक
9. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
10. सभी निर्यात संवर्धन केन्द्रों के कार्यपालक निदेशक ।
11. प्रमुख समाचार एजेंसी
12. वस्त्र आयुक्त कार्यालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी
13. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
14. प्रभारी अधिकारी, सभी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र,

प्रतिलिपि:

1. आईएमएससी तथा टीएमसी के सभी सदस्य ।
2. डॉ.जे.एन.सिंह, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -110 011
3. श्री बी.एन.सिन्हा, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली 110 011
4. श्री विजय कुमार, अनुभाग अधिकारी, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली 110 011

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

